



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



मुख्यालय / Headquarters
पंचदीप भवन, सी.आइ.जी. मार्ग, नई दिल्ली -110002
Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110002
Phone: - 011-23604719, 011-23604720
E-mail: estt3-hq@esic.nic.in

पत्रांक: ए-28016/2/2024-ई.3.

दिनांक: 22.07.2024

कार्यालय ज्ञापन / OFFICE MEMORANDUM

विषय: प्रतिनियुक्ति भत्ता की संशोधित दरों के संबंध में।

Subject: Revision in rates of Deputation Allowance - reg.

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार, द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/11/2017-स्था.(वेतन-2) दिनांक 24.11.2017, के परिपेक्ष्य में जो कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कार्यालय ज्ञापन संख्या ए-27/1/सातवां वेतन आयोग/4/2017-स्था3 दिनांक 26.02.2018 द्वारा परिचालित किया गया था तथा दिनांक 01.01.2024 से महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत होने के तदनुसार, सक्षम अधिकारी ने 01.01.2024 से प्रतिनियुक्ति भत्ते की सीमा को 25% तक संशोधित करने की मंजूरी दे दी है। हालांकि, बाकी शर्तें भारत सरकार के उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 24.11.2017 के अनुसार अपरिवर्तित ही रहेंगी।

In pursuance of Ministry of Finance, Department of Expenditure, Government of India, Office Memorandum No.2/11/2017-Estt.(Pay-II) dated 24.11.2017, circulated by ESIC vide its Office Memorandum No. A-27/1/7thCPC/4/2017-E.III dated 26.02.2018 and consequent upon the revision of Dearness Allowance to 50% w.e.f. 01.01.2024, the Competent Authority has approved to revise the ceiling of Deputation Allowance by 25% w.e.f 01.01.2024. However, rest of the terms & conditions of Govt of India ibid OM dated 24.11.2017 remains unchanged.

सहायक निदेशक/
Assistant Director

प्रतिलिपि/Copy to:-

1. महानिदेशक / वित्त आयुक्त / मुख्य सतर्कता अधिकारी के प्रधान निजी सचिव
PPS to DG/FC/CVO
2. सभी बीमा आयुक्त / चिकित्सा आयुक्त के प्रधान निजी सचिव
PPS to All ICS/MCS.
3. सभी आंचलिक बीमा आयुक्त / चिकित्सा आयुक्त के प्रधान निजी सचिव
PPS to All Zonal ICS/MCS for Information
4. सभी क्षेत्रीय कार्यालय / उप क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक / उप निदेशक, प्रभारी/एनटीए
All RDS/DD, I/cs of Regional Offices/Sub-Regional Office/NTA
5. सभी कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सा संस्थान के डीन व सभी क.रा.बी. निगम अस्पताल / आदर्श अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक
All Deans of ESIC Medical Colleges & All MSs of ESIC Hospitals/Model Hospitals.
6. सभी क्षेत्रीय कार्यालय / उप क्षेत्रीय कार्यालय / चिकित्सा संस्थान / अस्पताल / माडल अस्पताल के संयुक्त निदेशक (वित्त) / उप निदेशक (वित्त) / सहायक निदेशक (वित्त)
JD (F)/DD (F)/AD(F) of all ROS/SROS/ ESIC Medical Colleges/ ESIC Hospitals/Model Hospitals.
7. उप निदेशक (स्था-1) / उप निदेशक (स्था. 5), मुख्यालय
DD(E-I)/DD(E-V), Hqrs. Office.
- 8.अपर आयुक्त (वित्त) / निदेशक (वित्त)/ निदेशक / उप निदेशक (वित्त एवं लेखा शाखा 3 तथा 4), मुख्यालय
AC(Fin.)/Director (F)/DD(F) of Fin. & A/cs.-3 & 4, Hqrs. Office.
9. वेब कंटेंट मैनेजर, मुख्यालय कार्यालय को इस अनुरोध के साथ कि यह कार्यालय ज्ञापन एसिक वेबसाइट पर अपलोड करें।
WCM, ESIC, Hqrs. with the request to upload the OM on ESIC website.
10. सूचना एवं संचार विभाग, मुख्यालय कार्यालय को ईआरपी में आवश्यक बदलाव करने के अनुरोध के साथ।
ICT Division, Hqrs. Office with request to make necessary changes in ERP.